मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक /812/1199/2016/20-2 भोपाल, दि20.मई, 2016

प्रति,

1. आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.,
भोपाल

2. सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

3. संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद
भोपाल

विषयः–''रूक जाना नहीं योजना'' के संबंध में।
संदर्भः– संचालक,मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद,भोपाल का प्रस्ताव।

–0–

संचालक,मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल द्वारा प्रस्तुत ''रूक जाना नहीं योजना'' के क्रियान्वयन कि स्वीकृति दी जाती है। योजना का क्रियान्वयन मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद,भोपाल द्वारा किया जायेगा एवं योजना से संबंधित आवश्यक ऑकड़े यथा – वार्षिक परीक्षा 2016 कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में अनुत्तीर्ण छात्रों का डाटा, परीक्षा केन्द्र से संबंधित जानकारी एवं मूल्यांकनकर्ताओं के ऑनलाईन ऑकड़े एवं योजना के लिए अन्य आवश्यक जानकारियां माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद के साथ साझा करेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक समन्वय/सहयोग प्रदान किया जायेगा।

संलग्न–योजना,

20/5/16
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र./812/1199/2016/20–2 भोपाल, दि20.. मई,2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री/मान. राज्य मंत्री, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. स्टॉफ, ऑफिसर, अपर मुख्यसचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।

20/5/16
उपसचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,

//लेखीराम//
20052016

"रूक जाना नहीं योजना"

1. पृष्ठभूमि :– वर्तमान में परीक्षा समय के दौरान समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी उनके प्रश्न–पत्र बिगड़ जाने अथवा कम अंक आने के कारण आत्महत्याएं जैसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा ने भी इस विषय में चिन्ता व्यक्त की है, और सामान्य जन से भी इसे रोकने हेतु सुझााव आमंत्रित किये गये है।

चुंकि म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल एक शैक्षणिक संस्था है और **"सबके लिए शिक्षा"** के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचालित है। अतः इस संस्था का भी यह अहम दायित्व बनता है कि युवा पीढ़ी को इस प्रकार की दुर्धटनाओं से बचाने के लिए सार्थक पहल करे। **"आज ही के समाचार पत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व एक छात्रा द्वारा आत्महत्या"** करने की खबर छपी है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है इसे आत्महत्याओं जैसी घटनाओं से बचाने, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने और देश की उन्नति में सहयोग करने के उद्देश्य से यह संस्था **"रूक जाना नहीं योजना"** प्रस्तावित करती है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में **माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की वर्ष 2015–16** के ही अनुत्तीर्ण छात्रों के लिये है। सफलता के आधार पर आने वाले वर्षों में अन्य मान्यता प्राप्त मंडलों के लिए लागू की जा सकती है।

योजना का विस्तृत स्वरूप बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

2. हितग्राही :–

योजनांतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के वर्ष 2015–16 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी (हाईस्कूल में दो से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण, हायर सेकण्डरी में एक से अधिक विषय में अनुत्तीण) रूक जाना नहीं योजनांतर्गत पंजीयन करवा सकेंगे।

नोटः– मा.शि.मं. से पूरक प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन इस योजना के तहत् मान्य नहीं होंगे। उन्हें मा.शि.मं. में ही आवेदन करना होगा एवं वहीं पर परीक्षा देना होगी।

3. रणनीति :–

3.1 योजनांतर्गत पात्र छात्रों को 20 से 25 मई 2016 तक आवश्यक रूप से एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से अथवा ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर सकेंगे।

3.2 परीक्षा 15 जून से आयोजित की जावेगी। परीक्षा पूर्व 07 दिवसीय सम्पर्क कार्यक्रम दिनांक 8 जून से 14 जून 2016 तक आयोजित किया जायेगा।

3.3 परीक्षार्थी यदि जून माह की परीक्षा में किसी कारण वश उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे सितम्बर 2016, दिसम्बर 2016 एवं जून 2017 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु पुनः पंजीयन करवाकर उत्तीर्ण होने के लिए तीन और अवसर प्रदान किये जावेंगे।

3.4 परीक्षा प्रश्न पत्र मा.शि.मं. के पाठ्यक्रम अनुसार ही होंगे तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। मार्कशीट राज्य ओपन स्कूल द्वारा ही दी जावेगी जिसमें पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित होंगे।

4. लाभ :–

4.1 मूल्यांकन में पारदर्शिता और शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित हो इस हेतु मूल्यांकन कार्य ऑनलाइन करवाया जायेगा तथा परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् पब्लिक डोमेन पर मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को रखा जावेगा जिससे कोई भी छात्र अपनी अथवा किसी भी छात्र की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका का अवलोकन कर सकेगा।

4.2 साल खराब नही होगाः–छात्रों का आगामी सत्र खराब न हो इस हेतु परीक्षाफल जुलाई माह में घोषित किया जायेगा।

4.3 विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के कुल चार अवसर प्रदान किये जायेंगे।

4.4 विद्यार्थियों को कुल तीन उत्तीर्ण विषयों का क्रेडिट प्रदान किया जायेगा।

5. परीक्षा शुल्क :–

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी दोनों पाठ्यक्रमों के शुल्क निम्नानुसार है :–

विषय	हाईस्कूल सामान्य	बी.पी.एल.कार्डधारी, अनु.जाति / अ.ज.जा., महिला एवं 40% या अधिक विकलांग	हायर सेकण्डरी सामान्य	बी.पी.एल.कार्डधारी, अनु.जाति / अ.ज.जा., महिला एवं 40% या अधिक विकलांग
दो विषय	1210.00 रू.	835.00 रू.	1460.00 रू.	960.00 रू.
तीन विषय	1500.00 रू.	1010.00 रू.	1710.00 रू.	1110.00 रू.
चार विषय	1760.00 रू.	1160.00 रू.	1960.00 रू.	1260.00 रू.
पांच विषय	2010.00 रू.	1310.00 रू.	2210.00 रू.	1410.00 रू.
छः विषय	2060.00 रू.	1360.00 रू.	————	————

6. संपर्क कार्यक्रम (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) :– नि:शुल्क रहेगा।

7. संपर्क :–

छात्र जिले के किसी भी एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। **समस्या समाधान हेतु एम.पी. ऑनलाइन की हेल्पलाइन 0755–4019400 पर संपर्क करें।**

संचालक

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल